

सारण समाहरणालय (जिला भू-अर्जन कार्यालय), सारण, छपरा।

अधिसूचना

(सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन S.I.A)

(देखे नियम 6 का उप-नियम(1))

जय प्रकाश विश्वविद्यालय निर्माण हेतु पूर्व से अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त मौजा-पश्चिमारी रौजा, थाना नं०-293 में छूटे हुए कतिपय भूखंडों का अधिग्रहण (रकबा-3.555 एकड़) के लिए अधियाचना प्रस्ताव उचित प्रतिकर का अधिकार एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 एवं बिहार भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 के तहत दी गई है। उक्त अधिनियम 2013 की धारा 4(2) एवं नियमावली 2014 के नियम 6(1) के तहत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन हेतु प्रशासक, ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना को अधिसूचित किया जाता है।

अधिसूचित एजेंसी अधिनियम 2013 की धारा 4(2) एवं नियमावली 2014 के नियम 6 (3) के आलोक में सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली 2014 के अध्ययन III में वर्णित नियमों के अंतर्गत करते हुए अधिसूचना की तिथि से छः माह के अंदर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र III में समुचित सरकार-सह-समाहर्ता सारण को समर्पित करेंगे।

परियोजना का नाम-

गाँव का नाम-

थाना नं०-

राजस्व थाना-

अंचल-

जिला-

भू-अर्जित किये जाने वाले संपूर्ण भू-खण्डों की संख्या-

भाग भू-खण्डों की सं० -

अधिग्रहित किये जाने वाले भूमि का क्षेत्रफल-

भू-अर्जित किये जाने वाले भूमि

के क्षेत्रफल की चौहदी-

जय प्रकाश विश्वविद्यालय निर्माण

पश्चिमारी रौजा

293

मुफ्फसील

सदर, छपरा

सारण

17

02

3.555 एकड़

इस अधिसूचना के साथ संलग्न की जा रही है।

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एजेंसी का नाम एवं संपर्क सूचना- ए०एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना

दूरभाष सं०-0612-2219395

मोबाईल-

ईमेल-ansiss1964@ansiss.res.in & ansiss1964@gmail.com

18/06/24
समुचित सरकार

-सह-

समाहर्ता, सारण

ज्ञापांक 932 / भू0अ0, दिनांक 9-6-021

- प्रतिलिपि- प्रशासक, ए0एन0 सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना सूचनार्थ एवं निर्धारित अवधि के अन्दर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने एवं प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्ता, सारण छपरा/अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, छपरा को सूचनार्थ तथा अपने कार्यालय में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनपुर/अंचल अधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं अपने कार्यालय में प्रकाशित करने तथा प्रभावित/संदर्भित क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु एवं जन प्रतिनिधियों को भी इसकी एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला सूचना पदाधिकारी, सारण/आई0टी0 मैनेजर सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है कि अधिसूचना को जिला वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

18/6/24
समूचित सरकार
-सह-
समाहर्ता, सारण